उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है। :–

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–6 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च, 2002 को किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाहन करता है एवं धारा 7(2) के अनुसार :–

अ. अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करती है।

ब. लोक अदालतों का संचालन करती है।

स. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है।

द. केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत कृत्यों का पालन करती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :–

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य–सचिव जो उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज चयन वेतनमान स्तर का अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसके द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके सामान्य

नियत्रंण में किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती है। संस्था के सुचारू संचालन के लिए संस्था में शासन द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3. <u>कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेशों, निर्देशिका और अभिलेख</u> :–

प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन एवं कार्य संपादन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 एवं केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्राप्त अनुदेशों, निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली–2006 के नियम–4 के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

5. <u>उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण</u> :–

राज्य प्राधिकरण नियम, विनियम तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का संग्रह अभिलेख रखती है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में विधिक योजना से सम्बन्धित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अनुदान राशि का आय व्यय विवरण पत्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है।

6. <u>बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण</u> :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा–9 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा–11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य

प्राधिकरण के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों व सुलह समझौता केन्दों का गठन भी सभी जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम :–

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य–सचिव, श्री सहदेव सिंह, विभागीय अपीलीय अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942–236762) एवं प्रशासनिक अधिकारी, श्री रमाकान्त चौधरी, लोक सूचना अधिकारी (दूरभाष संख्याः 05942–236552, मोबाइल नम्बरः 9412059006) पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सीनियर सिविल जज, अपीलीय अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

इसी क्रम में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल में अपीलीय अधिकारी, सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, अपीलीय अधिकारी एवं मुन्सरिम, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया :–

राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

8. अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्टरीः–

मा0 मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड/मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड / मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236762 (Office) 05942–236552 (Telefax) 06397344127 (Mobile)
विशेष कार्याधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236514 (Office) 05942–236552 (Telefax) 09411102046 (Mobile)
प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942–236552 (Telefax) 09412059006 (Mobile)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गणमान्य सदस्य	
क्र0सं0	**पदनाम**
1	मा0 मुख्य न्यायमूर्ति/मुख्य संरक्षक
2	मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष
3	मा0 अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल
4	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार
5	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
7	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
8	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून
10	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल)
11	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून
12	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून
13	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
14	सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
15	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
16	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर
17	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
18	डॉ0 अनिल प्रकाश जोशी, पदमश्री अवार्ड, विशेषज्ञ सदस्य, पर्यावरण कार्यकर्ता
19	डॉ0 सुरेश चन्द्र पाण्डे, सहायक प्रोफेसर (विधि), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद विधि संस्थान, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
20	श्री आशुतोष गुलाटी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, देहरादून
21	श्री मनीष मोहन जोशी, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, नैनीताल
22	श्री उमेश जोशी, अधिवक्ता/सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल कोर्ट, काशीपुर

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची		
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्री सहदेव सिंह (जिला एवं सत्र न्यायाधीश)	सदस्य–सचिव
2.	श्री सैयद गुफरान (सीनियर सिविल जज)	विशेष कार्याधिकारी
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक
13.	श्री हरेश नाथ	चालक
14.	श्री हेमन्त कुमार	चालक
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
21.	श्री गोपाल दत्त जोशी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	कनिष्ठ सहायक
22.	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	चालक
23.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
24.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
25.	श्री अमन आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
26.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	कनिष्ठ सहायक
27.	श्री दीपक सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	अनुसेवक
28.	श्री रमेश राम (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	माली
29.	श्री रोहित पन्त, चौकीदार (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	चौकीदार
30.	श्री ललित कुमार (नियत मजदूरी पर)	पर्यावरण मित्र

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त वेतन/पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है।

(दिनांक 30 जून, 2023 तक)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन
1.	श्री सहदेव सिंह	सदस्य–सचिव	144840–194660	283317
2.	श्री सैयद गुफरान	विशेष कार्याधिकारी	111000–163030	190296
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100	106050
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव	44900–142400	84244
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक	44900–142400	84664
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक	35400–112400	68428
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक	44900–142400	72170
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक	35400–112400	56500
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	51258
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	54808
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक	29200–92300	54808
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक	29200–92300	55088
13.	श्री हरेश नाथ	चालक	35400–112400	60816
14.	श्री हेमन्त कुमार	चालक	25500–81100	49296
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर	29200–92300	49928
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक	19900–63200	47330
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक	19900–63200	48640
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक	19900–63200	48400
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	–	22957
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–	21212
21.	श्री गोपाल दत्त जोशी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	कनिष्ठ सहायक	–	21212
22.	श्री विवेक गोस्वामी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	चालक	–	21212
23.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	–	17842
24.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	–	17842
25.	श्री अमन आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक	–	17842
26.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	कनिष्ठ सहायक	–	21212
27.	श्री दीपक सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	अनुसेवक	–	17842
28.	श्री रमेश राम (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	माली	–	17842
29.	श्री रोहित पन्त, चौकीदार (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	चौकीदार	–	17842
30.	श्री ललित कुमार (नियत मजदूरी पर)	पर्यावरण मित्र	–	9773

10. <u>बजट का प्रावधान</u> :–

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धनराशि दो स्रोतों, राष्ट्रीय विधिक सहायक निधि जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एवं राज्य विधिक सहायक निधि जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होती है तत्पश्चात उक्त धनराशि का उपयोजन विधिक सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्रदान करने, लोक अदालतों का संचालन करने, विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि में किया जाता है एवं उक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाता है।

11. <u>अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की तिथि</u> :–

विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है।

12. छूट, आज्ञप्ति तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है।

13. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा–9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है।

14. <u>इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना</u> :–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से सम्बन्धित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं।

15. जनउपयोग एवं सूचना प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

16. <u>अन्य उपयोगी जानकारी जो विहित की जावे</u> :–

राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जनसामान्य जानकारी प्राधिकरण की वैबसाइट www.slsa.uk.gov.in तथा कार्यालय के टॉल फ्री नं: **1800 180 4000** से प्राप्त की जा सकती है।

ह0/–
सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल

दिनांक : 30 जून, 2023

ई–मेलः slsa-uk@nic.in एवं ukslsanainital@gmail.com

ANUJ KUMAR SANGAL
Member-Secretary
(District & Sessions Judge)

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
ADR Centre, High Court Campus,
Nainital-263002

To,

The Member Secretary,
National Legal Services Authority,
B Block Ground Floor,
Additional Building Complex,
Supreme Court of India,
New Delhi – 110001

No. 535 /VIII-B-1/2010/SLSA/2023-24, Dated: 26 April, 2023

Subject: **Carry forward of unspent balance of the F.Y- 2022-23 (as on 1st April, 2023) to F.Y. 2023-24-reg.**

Madam,

On the subject noted above and kindly take reference to your e-mail dated 25-04-2022. It is to inform you that the funds to the tune of **Rs.4,52,22,630-41** (carry forwarded/allocated) was received to this authority from NALSA, in different heads for the financial year 2022-23. Out of the total amount, an amount of **Rs. 2,99,93,584-00** was utilized in the financial year 2022-23 and funds to the tune of ***Rs.1,52,29,046-41*** are lying unutilized with the State Authority including the funds received from District Legal Services Authorities as unutilized. For ready reference, the relevant details in tabular form pertaining to unutilized funds received from NALSA under various heads in the financial year 2022-23 is enclosed herewith.

You are, therefore, informed accordingly and requested to grant permission for carry forward the unspent amount Rs. 1,52,29,046-41 received in F.Y. 2022-23 under different heads lying with the State Authority, for utilization in Current financial year 2023-24.

With regards.

Yours Sincerely

26/4/23

(Anuj Kumar Sangal)
Member Secretary

Encl: As above

O/C

Telephone: 05942-236762, Telefax: 05942-236552, E-mail: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
Website: www.slsa.uk.gov.in, Toll Free No.: 1800 180 4000

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

Financial Year 2022-2023

Head wise details of Budget allocated by NALSA,New Delhi to UKSLSA,Nainital for different schemes/plans/programmes

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA	Expenditure of Budget of SLSA till 31.03.2023	Expenditure of Budget of DLSAs & HCLSC till 31.03.2023	Total Expenditure off DLSAs,HCLSC & sisa till 31.03.2023	Total Balance of Budget with SLSA, DLSAs & HCLSC, as on 31.03.2023 in Account of NALSA Fund
1	2	3	4	5	6	7
01	MNREGS (Carry forwarded)	3,765.00	–	–	–	3,765.00
02	Micro Legal Literacy Scheme (Carry forwarded)	24,576.00	–	–	–	24,576.00
03	Lawyers Training (Carry forwarded)	8,945.00	–	–	–	8,945.00
04	Legal Services Clinics in College (Carry forwarded)	37,647.00	–	–	–	37,647.00
05	Panel Lawyers Training (Carry forwarded)	812.98	–	–	–	812.98
06	Payment to Panel Lawyers (Carry forwarded)	353.00	–	–	–	353.00
07	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) (Carry forwarded)	.15	–	–	–	.15
08	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) (Carry forwarded)	,28	–	–	–	,28
09	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) (Carry forwarded)	11,734.00	11,734.00	–	11,734.00	–
10	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) (Carry forwarded)	96,34,797.00	6,32,992.00	87,76,621.00	94,09,613.00	2,25,184.00
11	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987.(The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) New Allocation	2,50,00,000.00	14,62,797.00	1,61,80,904.00	1,76,43,701.00	73,56,299.00
12	Implementation of Legal Aid Defense Counsel Schemes (LADCS) New Allocation	1,05,00,000.00	25,278.00	29,03,258.00	29,28,536.00	75,71,464.00
	Total:	**4,52,22,630.41**	**21,32,801.00**	**2,78,60,783.00**	**2,99,93,584.00**	**1,52,29,046.41**

Prepared by:

Checked by:

A.O

Member Secretary
Uttarakhand State Legal Services Authourty
Nainital

GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार
DEPARTMENT OF JUSTICE, MINISTRY OF LAW & JUSTICE
न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
B-BLOCK, GROUND FLOOR, ADDITIONAL BUILDING COMPLEX,
SUPREME COURT OF INDIA, NEW DELHI- 110001
बी-ब्लाक, भू-तल, एडिशनल बिल्डिंग काम्प्लेक्स,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली-110001
COMMUNICATION ADDRESS- JAISALMER HOUSE, 26,
MAN SINGH ROAD, NEW DELHI-110011
पत्राचार का पता- जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड,
नई दिल्ली-110011

EMAIL: nalsa-dla@nic.in
WEBSITE: www.nalsa.gov.i
PH: 011-23382778, 233814
FAX: 011- 23382121

सूचना का अधिकार

F.No. G/1/2023-24/NALSA/Carry Forward/NALSA/**326**

Dated 26.04.2022

To,

The Member Secretary,
Uttarakhand State Legal Services Authority,
ADR Centre, High Court Campus,
Nainital – 263 002.

Sub: Carry forward of unspent balance of the F.Y. 2022-23 to F.Y. 2023-24 – reg.

Sir,

I am directed to refer to your letter No 535/VIII-B-1/2010/SLSA/2023-24 dated 26.04.2023 on the subject cited above and to convey the approval of Hon'ble Executive Chairman, NALSA for carry forward of unspent balance of ₹1,52,29,046/- of Financial Year 2022-23 to the Financial Year 2023-24.

Yours faithfully,

(Shailendra Kumar)
Accounts Officer

No.G/3/2023-24/NALSA/GIA/1051
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

B Block, Ground Floor,
Additional Building Complex,
Supreme Court of India, New Delhi-110001
DATED: 15.06.2023

Sanction Order

Subject: Allocation of funds in terms of Section 4(c) of the Legal Services Authorities Act, 1987, (as amended) in favour of Uttarakhand State Legal Services Authority during the current Financial Year 2023-24.

Sanction of the competent authority is hereby conveyed for release of recurring grants-in-aid of **₹ 75,00,000/- (Rupees Seventy Five Lac Only)** to **Uttarakhand State Legal Services Authority** during the current financial year 2023-24 in terms of Section 4(c) of the Legal Services Authorities Act, 1987 for the purpose of implementation of all the legal services schemes and regulations framed under various provisions of the said Act.

2. The grant is subject to the following conditions:-

(i) An audited statement of accounts, showing the expenditure incurred by the SLSA should be submitted to NALSA as soon as possible after the close of the financial year but not later than **30th November, 2024** together with a certificate from the auditors to the effect that the grants-in-aid has been utilised for the purpose for which it was sanctioned.

(ii) A performance cum achievement report specifying in detail the achievements of SLSA vis-a-vis the amount spent and the purpose etc. of the grants would be submitted to the NALSA together with the audited statement of the accounts after the close of the financial year, but not later than **30th November, 2024.**

(iii) The accounts of the SLSA would be subject to audit by Comptroller & Auditor General in terms of provision of Rule 236(2) of the GFRs 2017 and also in accordance with the provisions of Comptroller &Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 and internal audit by the Principal Accounts Office of the Ministry or Department whenever the institution or organization is called upon to do so.

(iv) SLSA is not permitted to divert the grants-in-aid received from NALSA or to entrust the execution of the scheme for which the grants is made to another institution except as per the provisions of the said Act, as such diversion of grants-in-aid, though for utilization on the same or similar objects, amounts to misutilization of the grants In case, where after having received the grants-in-aid from the Government, the grantee institution itself is not in a position to execute or complete the assignment, it should refund forthwith to NALSA, the entire amount of grants-in-aid received by it.

A/C

(v) Any amount of grant, which is not spent for the purpose for which, it is sanctioned during the financial year. i.e. by **31st March,2024** should be refunded forthwith to NALSA.

(vi) If it is found that the funds of NALSA have been used for any political party or anti-government activities, the recovery of this grant will be made and future grants will be withheld.

(vii) It will be open to NALSA to cause physical verification or other enquiries as it may consider necessary to satisfy itself in regard to the expenditure incurred and or its reasonableness.

(viii) Sufficient number of hard copies along with a soft copy of the Annual Report, including audited statement of accounts, both in English & Hindi versions, will be made available to NALSA as soon as possible after the close of the financial year but not later **30th November, 2024**, for laying them on the table of both Houses of Parliament.

विशेष कार्य अधिकारी
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल

(ix) SLSA shall follow the Official Language Policy of the Central Government and implement the instructions contained in the official Language Act, 1963, the Official Language Rules, 1976 and instructions issued by the Central Government from time to time.

(x) SLSA shall keep the expenditure on establishment, office expenses, maintenance etc. to the minimum and take suitable measures to augment its resources as per NALSA's Instructions/Guidelines **dated 31st March, 2022 and 22nd May, 2023.**

(xi) SLSA shall submit to NALSA two copies each of all publications brought out by them in future.

(xii) SLSA is required to maintain subsidiary accounts of the government grants and furnish to the Accounts Officer a set of audited statement of accounts. These audited statements of accounts should be required to be furnished after utilization of the grants-in-aid or whenever called for.

(xiii) SLSA shall send copies of their accounts to the concerned Audit Offices within three months of the end of the **Financial Year 2023-24**.

(xiv) A certificate of actual utilization of the grants received for the purpose for which it was sanctioned should be furnished by NALSA in the format prescribed in General Financial Rules **"(Form GFR 12-C)"** to NALSA at the earliest after the close of financial year and in no case later than six months after the close of the financial year in which the grants is allowed. The utilization certificate should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilized , were in fact reached, and if not, the reasons therefore.

(xv) Assets acquired wholly or substantially out of SLSA Grant shall not be disposed of without obtaining the prior approval of the sanctioning authority of Grants-in-aid.

3. The grants-in-aid are also subject to the following conditions:-

(i) that it will not entail any extra financial obligations on the part of the Government.

(ii) that the conditions governing the grants-in-aid as laid down in General Financial Rules, 2017, are fully observed.

4. **The expenditure is debitable to the National Legal Aid Fund against the grants-in-aid received by debiting Major Head "2014", Minor Head 00.119-Legal Aid Services, 01-National Legal Services Authority, 01.00.31-Grants-in-aid General, under Grant No. 65 of the Ministry of Law and Justice for the Financial Year 2023-24.**

5. These issues with the concurrence of the Hon'ble Executive Chairman vide **File No. G/3/2023-24/NALSA/GIA dated 15.06.2023.**

(Rajeev Kumar Yadav)
Under Secretary

DDO, NALSA

Copy to:

1. The Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority Office,A.D.R Centre High Court, Nainital, Uttarakhand. **It may be noted that from the current Financial Year 2023 - 24 Treasury Single Account System (TSA) of PFMS has been implemented and flow of fund will be through RBI by assignment limit of expenditure instead of transfer of fund in the Scheduled Commercial Bank in r/o SLSA (i.e. upto Sub Agency of SB level).** It is requested that a certificate to the effect that the conditions as stated above covering the allocation of funds have been accepted without any reservation, may be furnished while acknowledging receipt of this letter.

2. Master File

(Rajeev Kumar Yadav)
Under Secretary

A/C

विशेष कार्य अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल

आर0के0खुल्बे
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल– 263002

सेवा में,

सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्रांकः 398 /VIII-A-1/रा.वि.से.प्रा0 नैनीताल/2022–23/ दिनांकः 31 मार्च, 2023

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 05–उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ आवंटित बजट में से 31.03.2023 तक के वास्तविक व्ययों के उपरान्त अवशेष धनराशि को अन्तिम रूप से समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 05–उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ विभिन्न मदों में बजट धनराशि आवंटित की गयी थी।

अतः उक्त के क्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 05–उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ आवंटित बजट में से 31.03.2023 के वास्तविक व्ययों के उपरान्त अवशेष धनराशि को लेखाशीर्षकवार/मानक मदवार इस पत्र के साथ संलग्न बजट समर्पण प्रपत्रों के अनुसार अन्तिम रूप से समर्पित किया जा रहा है।

भवदीय

(आर0के0 खुल्बे)
सदस्य–सचिव

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।
1– लेखाधिकारी, रिपोर्ट सैक्शन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

31.03.23
(आर0 के0 खुल्बे)
सदस्य–सचिव

O/C

टेलीफोनः 05942-236762, टैलीफैक्सः 05942-236552, ई0मेल0: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
वैबसाईटः www.slsa.uk.gov.in, टॉल फ्री नं0: 1800 180 4000

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 (आय–व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 – न्याय प्रशासन – 00 – आयोजनेत्तर – 800 – अन्य व्यय – 05 –उत्तराखण्ड, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।

क्र0सं0	शीर्षक/मानक मद	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट	पुनर्विनियोग हेतु पूर्व में समर्पित	पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित बजट	पुनर्विनियोग उपरान्त कुल आवंटित /उपलब्ध बजट	मार्च, 2023 तक कुल व्यय बजट	अवशेष बजट जो अन्तिम रूप से समर्पित किया जा रहा है
1.	01–वेतन	3,00,00,000.00	–	–	3,00,00,000.00	1,28,41,067.00	1,71,58,933.00
2.	02–मजदूरी	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	1,12,696.00	3,87,304.00
3.	03–महंगाई भत्ता	1,00,00,000.00	–	–	1,00,00,000.00	52,01,019.00	47,98,981.00
4.	04–यात्रा व्यय	25,00,000.00	–	–	25,00,000.00	1,33,581.00	23,66,419.00
5.	06–अन्य भत्ते	40,00,000.00	–	–	40,00,000.00	7,90,440.00	32,09,560.00
6.	07–मानदेय	50,000.00	–	–	50,000.00	–	50,000.00
7.	08–पारिश्रमिक	45,00,000.00	–	–	45,00,000.00	26,90,709.00	18,09,291.00
8.	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,00,000.00	4,00,000.00	–	1,00,000.00	–	1,00,000.00
9.	10–प्रशिक्षण व्यय	3,00,000.00	–	–	3,00,000.00	2,83,204.00	16,796.00
10.	11–अनुमन्यता संबंधी व्यय	7,00,000.00	–	–	7,00,000.00	1,77,473.00	5,22,527.00
11.	13– उपार्जित अवकाश नकदीकरण	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	–	5,00,000.00
12.	20–लेखन सामग्री एवं छपायी	4,40,000.00	–	–	4,40,000.00	1,30,020.00	3,09,980.00
13.	21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	83,062.00	4,16,938.00
14.	22–कार्यालय व्यय	5,50,000.00	–	1,00,000.00	6,50,000.00	2,88,538.00	3,61,462.00
15.	23–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	1,960.00	4,98,040.00
16.	24–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	5,00,000.00	1,00,000.00	–	4,00,000.00	21,384.00	3,78,616.00
17.	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	15,00,000.00	–	–	15,00,000.00	2,27,229.00	12,72,771.00
18.	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	6,50,000.00	–	–	6,50,000.00	1,96,040.00	4,53,960.00
19.	27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000.00	–	–	1,00,000.00	–	1,00,000.00
20.	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	11,00,000.00	–	–	11,00,000.00	7,33,212.00	3,66,788.00
21.	30–आतिथ्य व्यय	1,00,000.00	–	–	1,00,000.00	36,812.00	63,188.00
22.	42– अन्य विभागीय व्यय	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	1,60,000.00	3,40,000.00
23.	51–अनुरक्षण	5,50,000.00	–	4,00,000.00	9,50,000.00	8,84,000.00	66,000.00
24.	52–लघु निर्माण	2,20,000.00	–	–	2,20,000.00	–	2,20,000.00
	कुल योगः	₹ 6,07,60,000.00	₹ 5,00,000.00	₹ 5,00,000.00	₹ 6,07,60,000.00	2,49,92,446.00	3,57,67,554.00

तैयारकर्ताः–

(ललित बिष्ट)
वरिष्ठ सहायक

जॉचकर्ताः–

(रमाकान्त चौधरी)
प्रशासनिक अधिकारी

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल

IFMS Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD Name -सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(4006)

Secreatary Name-सचिव, विधि(S029)

आवंटन पत्र संख्या -VIII-A-1/2022-23
अनुदान संख्या-004

आवंटन आई डी-HS23030040003
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2023

लेखा शीर्षक
2014-न्याय प्रशासन
800-अन्य व्यय
00-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

00--
05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
01-वेतन	-	-1,71,58,933	-1,71,58,933
02-मजदूरी	-	-3,87,304	-3,87,304
03-महंगाई भत्ता	-	-47,98,981	-,47,98,981
04-यात्रा व्यय	-	-23,66,419	-,23,66,419
06-अन्य भत्ते	-	-32,09,560	-,32,09,560
07-मानदेय	-	-50,000	-,50,000
08-पारिश्रमिक	-	-18,09,291	-,18,09,291
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-4,00,000	-1,00,000	-5,00,000
10-प्रशिक्षण व्यय	-	-16,796	-,16,796
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	-	-5,22,527	-5,22,527
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	-	-5,00,000	-5,00,000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	-	-3,09,980	-3,09,980
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-4,16,938	-4,16,938
22-कार्यालय व्यय	-	-3,61,462	-3,61,462
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-4,98,040	-4,98,040
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	-1,00,000	-3,78,616	-4,78,616
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	-	-12,72,771	-,12,72,771
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	-	-4,53,960	-4,53,960
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-1,00,000	-1,00,000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	-	-3,66,788	-3,66,788
30-आतिथ्य व्यय	-	-63,188	-,63,188
42-अन्य विभागीय व्यय	-	-3,40,000	-3,40,000
51-अनुरक्षण	-	-66,000	-,66,000
52-लघु निर्माण	-	-2,20,000	-2,20,000
कुल योग	-5,00,000	3,57,67,554	-3,62,67,554

Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.3,57,67,554

नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे

Batch ID : SUR:4006:4006:2303:0001
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सदस्य-सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 (आय–व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 – न्याय प्रशासन – 00 – आयोजनेत्तर – 800 – अन्य व्यय – 06 –जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल।

क्र0सं0	शीर्षक/मानक मद	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट	पुनर्विनियोग हेतु पूर्व में समर्पित	पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित बजट	पुनर्विनियोग उपरान्त कुल आवंटित /उपलब्ध बजट	मार्च, 2023 तक कुल व्यय बजट	अवशेष बजट जो अन्तिम रूप से समर्पित किया जा रहा है
1.	01–वेतन	3,50,00,000.00	–	–	3,50,00,000.00	3,26,62,117.00	**23,37,883.00**
2.	02–मजदूरी	6,00,000.00	3,50,000.00	–	2,50,000.00	–	**2,50,000.00**
3.	03–महंगाई भत्ता	2,00,00,000.00	–	–	2,00,00,000.00	1,36,28,630.00	**63,71,370.00**
4.	04–यात्रा व्यय	10,00,000.00	–	–	10,00,000.00	5,11,291.00	**4,88,709.00**
5.	06–अन्य भत्ते	38,00,000.00	–	–	38,00,000.00	23,22,500.00	**14,77,500.00**
6.	07–मानदेय	1,50,000.00	1,00,000.00	–	50,000.00	18,000.00	**32,000.00**
7.	08–पारिश्रमिक	2,25,00,000.00	–	–	2,25,00,000.00	1,74,34,200.00	**50,65,800.00**
8.	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,00,000.00	4,00,000.00	–	1,00,000.00	–	**1,00,000.00**
9.	10–प्रशिक्षण व्यय	2,00,000.00	–	–	2,00,000.00	–	**2,00,000.00**
10.	11–अनुमन्यता संबंधी व्यय	50,00,000.00	–	–	50,00,000.00	6,68,539.00	**43,31,461.00**
11.	13– उपार्जित अवकाश नकदीकरण	1,00,000.00	–	–	1,00,000.00	–	**1,00,000.00**
12.	20–लेखन सामग्री एवं छपायी	6,60,000.00	–	–	6,60,000.00	2,98,103.00	**3,61,897.00**
13.	21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000.00	–	8,00,000.00	12,00,000.00	7,50,749.00	**4,49,251.00**
14.	22–कार्यालय व्यय	4,50,000.00	–	2,00,000.00	6,50,000.00	3,68,186.00	**2,81,814.00**
15.	23–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6,00,000.00	–	–	6,00,000.00	4,34,843.00	**1,65,157.00**
16.	24–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	2,10,000.00	–	–	2,10,000.00	16,974.00	**1,93,026.00**
17.	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	10,50,000.00	–	–	10,50,000.00	3,58,059.00	**6,91,941.00**
18.	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	3,00,000.00	–	1,00,000.00	4,00,000.00	88,770.00	**3,11,230.00**
19.	27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,000.00	–	–	3,00,000.00	51,514.00	**2,48,486.00**
20.	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	55,00,000.00	–	–	55,00,000.00	35,08,774.00	**19,91,226.00**
21.	30–आतिथ्य व्यय	1,50,000.00	–	–	1,50,000.00	11,383.00	**1,38,617.00**
22.	42– अन्य विभागीय व्यय	10,00,000.00	7,00,000.00	–	3,00,000.00	–	**3,00,000.00**
23.	51–अनुरक्षण	5,50,000.00	–	4,50,000.00	10,00,000.00	7,71,000.00	**2,29,000.00**
24.	52–लघु निर्माण	2,50,000.00	–	–	2,50,000.00	–	**2,50,000.00**
	कुल योगः	₹ 10,02,70,000.00	15,50,000.00	15,50,000.00	₹ 10,02,70,000.00	7,39,03,632.00	**2,63,66,368.00**

तैयारकर्ताः–
(ललित बिष्ट)
वरिष्ठ सहायक

जॉचकर्ताः–
(रमाकान्त चौधरी)
प्रशासनिक अधिकारी

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

IFMS Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD Name -सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(4006)

Secreatary Name-सचिव, विधि(S029)

आवंटन पत्र संख्या -VIII-A-1/2022-23
अनुदान संख्या-004

आवंटन आई डी-HS23030040005
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2023

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन 800-अन्य व्यय 00-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (0-5 से स्थानान्तरित)	00-- 06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	6	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
01-वेतन	-	-23,37,883	-,23,37,883
02-मजदूरी	-3,50,000	-2,50,000	-6,00,000
03-महंगाई भत्ता	-	-63,71,370	-,63,71,370
04-यात्रा व्यय	-	-4,88,709	-4,88,709
06-अन्य भत्ते	-	-14,77,500	-,14,77,500
07-मानदेय	-1,00,000	-32,000	-1,32,000
08-पारिश्रमिक	-	-50,65,800	-,50,65,800
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-4,00,000	-1,00,000	-5,00,000
10-प्रशिक्षण व्यय	-	-2,00,000	-2,00,000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	-	-43,31,461	-,43,31,461
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	-	-1,00,000	-1,00,000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	-	-3,61,897	-3,61,897
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-4,49,251	-4,49,251
22-कार्यालय व्यय	-	-2,81,814	-2,81,814
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-1,65,157	-1,65,157
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	-	-1,93,026	-1,93,026
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	-	-6,91,941	-6,91,941
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	-	-3,11,230	-3,11,230
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-2,48,486	-2,48,486
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	-	-19,91,226	-,19,91,226
30-आतिथ्य व्यय	-	-1,38,617	-1,38,617
42-अन्य विभागीय व्यय	-7,00,000	-3,00,000	-,10,00,000
51-अनुरक्षण	-	-2,29,000	-2,29,000
52-लघु निर्माण	-	-2,50,000	-2,50,000
कुल योग	-,15,50,000	2,63,66,368	-2,79,16,368

Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.2,63,66,368

नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे

Batch ID : SUR:4006:4006:2303:0002
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सदस्य--सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 (आय–व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 – न्याय प्रशासन – 00 – आयोजनेत्तर – 800 – अन्य व्यय – 10 –स्थाई लोक अदालतें अन्तर्गत,उत्तराखण्ड।

क्र0सं0	शीर्षक/मानक मद	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट	पुनर्विनियोग हेतु पूर्व में समर्पित	पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित बजट	पुनर्विनियोग उपरान्त कुल आवंटित /उपलब्ध बजट	मार्च, 2023 तक कुल व्यय बजट	अवशेष बजट जो अन्तिम रूप से समर्पित किया जा रहा है
1.	01–वेतन	75,00,000.00	–	–	75,00,000.00	20,17,792.00	**54,82,208.00**
2.	02–मजदूरी	5,00,000.00	2,00,000.00	–	3,00,000.00	13,500.00	**2,86,500.00**
3.	03–महंगाई भत्ता	1,50,00,000.00	–	–	1,50,00,000.00	10,69,278.00	**1,39,30,722.00**
4.	04–यात्रा व्यय	8,00,000.00	–	–	8,00,000.00	–	**8,00,000.00**
5.	06–अन्य भत्ते	60,00,000.00	–	–	60,00,000.00	6,16,451.00	**53,83,549.00**
6.	07–मानदेय	2,00,000.00	–	–	2,00,000.00	–	**2,00,000.00**
7.	08–पारिश्रमिक	1,00,00,000.00	–	–	1,00,00,000.00	55,74,445.00	**44,25,555.00**
8.	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,00,000.00	–	–	4,00,000.00	–	**4,00,000.00**
9.	10–प्रशिक्षण व्यय	1,00,000.00	–	–	1,00,000.00	–	**1,00,000.00**
10.	11–अनुमन्यता संबंधी व्यय	7,00,000.00	–	–	7,00,000.00	90,270.00	**6,09,730.00**
11.	13– उपार्जित अवकाश नकदीकरण	1,00,000.00	–	–	1,00,000.00	–	**1,00,000.00**
12.	20–लेखन सामग्री एवं छपायी	3,00,000.00	–	–	3,00,000.00	44,076.00	**2,55,924.00**
13.	21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000.00	–	–	10,00,000.00	39,058.00	**9,60,942.00**
14.	22–कार्यालय व्यय	4,00,000.00	–	–	4,00,000.00	49,184.00	**3,50,816.00**
15.	23–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6,00,000.00	–	–	6,00,000.00	–	**6,00,000.00**
16.	24–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	5,00,000.00	–	–	5,00,000.00	–	**5,00,000.00**
17.	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	10,00,000.00	–	–	10,00,000.00	39,131.00	**9,60,869.00**
18.	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	3,00,000.00	–	–	3,00,000.00	62,312.00	**2,37,688.00**
19.	27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40,00,000.00	–	2,00,000.00	42,00,000.00	27,50,084.00	**14,49,916.00**
20.	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	9,50,000.00	–	–	9,50,000.00	43,540.00	**9,06,460.00**
21.	30–आतिथ्य व्यय	1,50,000.00	–	–	1,50,000.00	725.00	**1,49,275.00**
22.	42– अन्य विभागीय व्यय	2,50,000.00	–	–	2,50,000.00	–	**2,50,000.00**
23.	51–अनुरक्षण	2,00,000.00	–	–	2,00,000.00	–	**2,00,000.00**
24.	52–लघु निर्माण	2,00,000.00	–	–	2,00,000.00	–	**2,00,000.00**
	कुल योगः	**₹ 5,11,50,000.00**	**₹ 2,00,000.00**	**₹ 2,00,000.00**	**₹ 5,11,50,000.00**	**1,24,09,846.00**	**3,87,40,154.00**

तैयारकर्ताः–

(ललित बिष्ट)
वरिष्ठ सहायक

जॉचकर्ता

(रमाकान्त चौधरी)
प्रशासनिक अधिकारी

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

IFMS Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD Name -सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(4006)

Secreatary Name-सचिव, विधि(S029)

आवंटन पत्र संख्या -VIIII-A-1/2022-23
अनुदान संख्या-004

आवंटन आई डी-HS23030040009
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2023

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन	00--
	800-अन्य व्यय	10-लोक अदालत
	00-लोक अदालत	Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
01-वेतन	-	-54,82,208	-,54,82,208
02-मजदूरी	-2,00,000	-2,86,500	-4,86,500
03-महंगाई भत्ता	-	-1,39,30,722	-1,39,30,722
04-यात्रा व्यय	-	-8,00,000	-8,00,000
06-अन्य भत्ते	-	-53,83,549	-,53,83,549
07-मानदेय	-	-2,00,000	-2,00,000
08-पारिश्रमिक	-	-44,25,555	-,44,25,555
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-4,00,000	-4,00,000
10-प्रशिक्षण व्यय	-	-1,00,000	-1,00,000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	-	-6,09,730	-6,09,730
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	-	-1,00,000	-1,00,000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	-	-2,55,924	-2,55,924
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	-	-9,60,942	-9,60,942
22-कार्यालय व्यय	-	-3,50,816	-3,50,816
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-6,00,000	-6,00,000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	-	-5,00,000	-5,00,000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	-	-9,60,869	-9,60,869
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	-	-2,37,688	-2,37,688
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-14,49,916	-,14,49,916
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	-	-9,06,460	-9,06,460
30-आतिथ्य व्यय	-	-1,49,275	-1,49,275
42-अन्य विभागीय व्यय	-	-2,50,000	-2,50,000
51-अनुरक्षण	-	-2,00,000	-2,00,000
52-लघु निर्माण	-	-2,00,000	-2,00,000
कुल योग	-2,00,000	3,87,40,154	-3,89,40,154

Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.3,87,40,154

नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे

Batch ID : SUR:4006:4006:2303:0003
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल

प्रेषक,
आर0 के0 श्रीवास्तव,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

प्राप्त संख्या 1140/SLSA
दिनांक 11-4-2023

सेवा में,
सदस्य सचिव,
मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 6 अप्रैल, 2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण', 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' एवं 'लोक अदालत' के उपयोगार्थ धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी 'विनियोग अधिनियम, 2023' पारित होने के क्रम में उक्त आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के न्यायालयों हेतु ₹ 5,35,75,000/– (रूपये पाँच करोड़ पैंतीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र), 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण', हेतु ₹ 14,11,50,000/– (रूपये चौदह करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) एवं 'लोक अदालत' हेतु ₹ 5,30,95,000/– (रूपये पाँच करोड़ तीस लाख पिचानवे हजार मात्र), की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) कृपया वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(2) मानक मद 01–वेतन, 03 मंहगाई भत्ता, 06–अन्य भत्ते एवं 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान में Global Budgetingकी व्यवस्था लागू होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(3) मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय में स्वीकृत की जा रही धनराशि, नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाय।

(4) मानक मद '52–लघु निर्माण' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत की धनराशि दिव्यांगजन के कल्याण एवं सुगम्यता सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित कार्यो में व्यय की जायेगी।

(5) लघु निर्माण कार्य की सीमा (शासनादेश संख्याः 323/XXVII(7)/19–50(07)/2019, दिनांक 20.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) तक के नये कार्यो हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा लघु निर्माण कार्यो के औचित्य एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन अपने स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) कृपया प्रत्येक माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(7) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-LAW-ASR, RO-LAW, Law Department on 06/04/2023 03:32 PM

सदस्य–सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल

I/112871/2023

माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(8) फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल, यात्रा, टेलीफोन आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।

(9) अवचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।

(11) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।

(13) कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–285/पी.एस./2006, दिनांक 23.10.2006 एवं तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।

(14) कोषागारों को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण–वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाये।

(15) जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक–2014–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण', 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' एवं 'लोक अदालत' से सम्बन्धित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत संलग्न कुल 03 एलॉटमेन्ट आई0डी0 में उल्लिखित विवरणनुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Rajoo Kumar Srivastava
Date: 06-04-2023 14:22:55

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-LAW-ASR, RO-LAW, Law Department on 06/04/2023 03:32 PM

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।

2– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।

3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।

5– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by Ashok Kumar
Date: 06-04-2023 14:28:07

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-LAW-ASR, RO-LAW, Law Department on 06/04/2023 03:32 PM

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-10/Apr/2023 03:34 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Signature Not Verifie
Digitally signed by: Mr Muhammad Sha
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 10-04-2023 15:34:18

Administrative Department : Secretary, Law (S029)

Head of Department : Member Secretary State Legal Service Authority(400

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 004

आवंटन आई डी - S230400401

लेखा शीर्षक -

आवंटन पत्र दिनांक - 06-APR-202

2014	न्याय प्रशासन	00	-
800	अन्य व्यय	06	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
00	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (0-5 से स्थानान्तरित)		

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	6	0	0

Vote

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	01-वेतन	0	65000000	0	650000
2	02-मजदूरी	0	600000	0	6000
3	03-महंगाई भत्ता	0	31200000	0	3120000
4	04-यात्रा व्यय	0	1100000	0	110000
5	06-अन्य भत्ते	0	4500000	0	450000
6	07-मानदेय	0	150000	0	15000
7	08-पारिश्रमिक	0	23000000	0	2300000
8	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	500000	0	500000
9	10-प्रशिक्षण व्यय	0	200000	0	200000
10	11-अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण व्यय	0	5000000	0	5000000
11	13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	0	500000	0	500000
12	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	600000	0	600000
13	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	300000	0	300000
14	22-कार्यालय व्यय	0	300000	0	300000
15	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	600000	0	600000
16	24-विज्ञापन, बिक्री, विज्ञापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	200000	0	200000
17	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	1050000	0	1050000
18	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	300000	0	300000
19	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	200000	0	200000
20	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	4500000	0	4500000
21	30-आतिथ्य व्यय	0	100000	0	100000
22	42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
23	51-अनुरक्षण	0	500000	0	500000
24	52-लघु निर्माण	0	250000	0	250000
	योग	0	141150000	0	141150000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 14,11,50,000 (Rupees Fourteen Crores Eleven Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:S029:S029:2304:0010

(मुहम्मद शमीम)
अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-2

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Law(S029)

HOD-Member Secretary State Legal Service Authority(4006)

IFMS Uttarakhand

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -004

आवंटन आई डी-S23040040009

आवंटन पत्र दिनांक-06-APR-2023

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन	00--
	800-अन्य व्यय	05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
	00-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	0	23000000	0	23000000
02-मजदूरी	0	500000	0	500000
03-महंगाई भत्ता	0	11100000	0	11100000
04-यात्रा व्यय	0	2500000	0	2500000
06-अन्य भत्ते	0	4000000	0	4000000
07-मानदेय	0	50000	0	50000
08-पारिश्रमिक	0	3500000	0	3500000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	500000	0	500000
10-प्रशिक्षण व्यय	0	500000	0	500000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	700000	0	700000
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	0	500000	0	500000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	440000	0	440000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	500000	0	500000
22-कार्यालय व्यय	0	500000	0	500000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	525000	0	525000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	500000	0	500000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	1500000	0	1500000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	200000	0	200000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	110000	0	110000
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1100000	0	1100000

30-आतिथ्य व्यय	0	100000	0	100(
42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	5000
51-अनुरक्षण	0	500000	0	5000
52-लघु निर्माण	0	250000	0	2500
योग	0	53575000	0	5357500

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,35,75,000 (Rupees Five Crores Thirty Five Lacs Seventy Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(मुहम्मद शफी
अनुभाग
न्याय
उत्तरा

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Law(S029)

HOD-Member Secretary State Legal Service Authority(4006)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -004

आवंटन आई डी-S23040040012

आवंटन पत्र दिनांक-10-APR-2023

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन	00--
	800-अन्य व्यय	10-लोक अदालत
	00-लोक अदालत	Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	0	17500000	0	17500000
02-मजदूरी	0	500000	0	500000
03-महंगाई भत्ता	0	8400000	0	8400000
04-यात्रा व्यय	0	800000	0	800000
06-अन्य भत्ते	0	6000000	0	6000000
07-मानदेय	0	200000	0	200000
08-पारिश्रमिक	0	8000000	0	8000000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	400000	0	400000
10-प्रशिक्षण व्यय	0	100000	0	100000
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	700000	0	700000
13-उपार्जित अवकाश नकदीकरण	0	100000	0	100000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	1050000	0	1050000
22-कार्यालय व्यय	0	500000	0	500000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	600000	0	600000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	500000	0	500000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	1050000	0	1050000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	400000	0	400000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	4000000	0	4000000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1000000	0	1000000

30-आतिथ्य व्यय	0	175000	0	175000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	260000	0	260000
51-अनुरक्षण	0	250000	0	250000
52-लघु निर्माण	0	210000	0	210000
योग	0	53095000	0	53095000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,30,95,000 (Rupees Five Crores Thirty Lacs Ninety Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(मुहम्मद शमीम)
अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन

सैयद गुफरान
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा
विशेष कार्याधिकारी

उत्तराखण्ड राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण
ए0डी0आर0 भवन, उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल–263001

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
पुलिस मुख्यालय,
सुभाष रोड,
देहरादून।

पत्रांकः 415 /पीड़ित महिला0प्रतिपूर्ति कोष/रा.वि.से.प्रा0 नैनीताल/2022–23 दिनांकः 06 अप्रैल, 2023

विषयः– **उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना–2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को प्राप्त धनराशि के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, गृह अनुभाग–6,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः HS6-BUD/AB/362022/-XX-6-Home Department दिनांकः 05.07.2022 के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना–2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांकः 03.08.2022 को कार्यालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के राजकीय बैंक खाते में ₹ 2,00,00,000.00 मात्र (₹ दो करोड़ मात्र) की धनराशि स्थानान्तरित/आवंटित की गयी थी। जिसके अनुक्रम में उक्त धनराशि का आय–व्यय व अवशेष का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	आवंटित धनराशि	31.03.2023 तक व्यय धनराशि	31.03.2023 को अवशेष धनराशि
1.	₹ 2,00,00,000.00	₹ 1,21,85,000.00	₹ 78,15,000.00

(₹ अढहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)

अतः विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में आपके कार्यालय द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के बैंक खाते में प्राप्त उक्त धनराशि में से 31.03.2023 तक के व्ययोपरांत अवशेष बचने वाली धनराशि ₹ 78,15,000.00 के संबंध में मुझ अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह पृच्छा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि, क्या उक्त अवशेष धनराशि को आपके विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपयोग में लिये जाने हेतु कैरीफारवर्ड किया जायेगा या राज्य प्राधिकरण द्वारा आपके कार्यालय को समर्पित किया जाना है। महोदय विगत वर्ष की उक्त अवशेष धनराशि को यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के उपयोगार्थ कैरीफारवर्ड किया जाना सम्भव हो तो कृपया उक्त धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु कैरीफारवर्ड करने की कृपा करें। यदि उक्त अवशेष धनराशि को समर्पित किया जाना है तो, कृपया अपने विभाग के बैंक खाते का विवरण, आई0एफ0एस0सी0 सहित उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे कि, उक्त अवशेष धनराशि को आपके विभाग को समर्पित किया जा सके।

आदर।

भवदीय,

6/4/2023

(विशेष कार्याधिकारी)

दूरभाषः05942-236514, टैलीफैक्सः 05942-236552, ई0मेल0: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
वैबसाईटः www.slsa.uk.gov.in, टॉल फ्री नं0-: 1800 180 4000

114495/2023
114495/2023

प्राप्ति संख्या 1334/SLSA
दिनांक 27-4-2023

प्रेषक,
रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–6 देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषय–वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना–2020 मद की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, के शासनादेश संख्या 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना–2020 (Compensation scheme for women victim/survivors of sexual assaults/other crimes 2020) हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–10 लेखाशीर्षक 2055–पुलिस 00–108–राज्य पुलिस मुख्यालय 06–उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना–2020 के मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय (राजस्व पक्ष) में धनराशि **रूपये 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र)** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि तत्काल सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल को हस्तगत करायी जायेगी।

(2) व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भुगतान किये गये प्रकरणों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक अलॉटमेंट आई.डी. के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भी अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

A/C

सदस्य-सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

Generated from eOffice by CHHAYA MATHUR, SO-Home Section 6-CM, SECTION OFFICER, Home Department on 17/04/2023 12:49 PM

/114495/2023

5— यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्राविधानों तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्या S2304010027 दिनांक 17 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

Signed by Ridhim Aggarwal
Date: 13-04-2023 15:23:11

भवदीया,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल
3— निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4— महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— वित्त अनुभाग—1/5
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।

Generated from eOffice by CHHAYA MATHUR, SO-Home Section-6-CM, SECTION OFFICER, Home Department

आर0के0खुल्बे
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक
सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल– 263002

सेवा में,

सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्रांकः 425 /VIII-A-1/रा.वि.से.प्रा0 नैनीताल/2023–24/ दिनांकः 10 अप्रैल, 2023

विषयः– **विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ आवंटित बजट के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालत, उधमसिंह नगर के नामे कोषागार में मानक मदः 27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान में अवशेष रह गयी धनराशि रू0 25,000.00 मात्र को अन्तिम रूप से समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवगत कराना है कि, विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 05–उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ विभिन्न मदों में बजट धनराशि आवंटित की गयी थी।

अतः उक्त के क्रम विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 10–स्थाई लोक अदालतों के उपयोगार्थ आवंटित बजट के अन्तर्गत मानक मदः 27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान में स्थाई लोक अदालत, उधमसिंह नगर के नामे कोषागार में अवशेष रह गयी धनराशि रू0 25,000.00 मात्र को लेखाशीर्षकवार/मानक मदवार इस पत्र के साथ संलग्न बजट समर्पण प्रपत्र के अनुसार अन्तिम रूप से समर्पित किया जा रहा है।

भवदीय

(आर0 के0 खुल्बे)
सदस्य–सचिव

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1– लेखाधिकारी, रिपोर्ट सैक्शन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

10.04.23

(आर0 के0 खुल्बे)
सदस्य–सचिव

O/C

टेलीफोनः 05942-236762, टैलीफैक्सः 05942-236552, ई0मेल0: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
वैबसाईटः www.slsa.uk.gov.in, टॉल फ्री नं0: 1800 180 4000

IFMS
Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD Name -सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण(4006)

Secreatary Name-सचिव, विधि(S029)

आवंटन आई डी-HS23030O40020
मांग पत्र दिनांक-31-MAR-2023

आवंटन पत्र संख्या -PLA
अनुदान संख्या-004

लेखा शीर्षक	2014-न्याय प्रशासन 800-अन्य व्यय 00-लोक अदालत	00-- 10-लोक अदालत

Voted

2	0	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-	-25,000	-,25,000
कुल योग	-	25,000	-,25,000

Total Surrender By HOD In Above Schemes-Rs.25,000

नोट - बजट समर्पण की मूल प्रतिलिपि सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे

Batch ID : SUR:4006:4006:2304:0001
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सदस्य-सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
नैनीताल